



दिनांक 09.01.2025

प्रेस विज्ञप्ति 15/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बदायूं/थाना कुंवरगॉव

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)
 - नगद रुपये
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 08.01.2025 को थाना कुंवरगॉव व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम बादल से ग्राम बनेई को जाने वाले रास्ते पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त हसनवी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट), नगद रुपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना उझानी जनपद बदायूं पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद बरेली, बदायूं व पंजाब प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कुंवरगॉव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-हसनवी निवासी ग्राम दूदेनगर थाना उझानी जनपद बदायूं।

बरामदगी

1-01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

2-नगद रूपये।

3-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

● पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● 02 मोबाइल फोन

● नगद रूपये

● चोरी के सामान

● 01 मोटर साइकिल

● 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 08/09.01.2025 की रात्रि थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मुन्तसिर कालोनी ईदगाह रोड पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1-सरफराज उर्फ कल्लू 2-मलखान घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 मोबाइल फोन, नगद रूपये, चोरी के सामान, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सरफराज उर्फ कल्लू के विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 19 अभियोग व अभियुक्त मलखान के विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सरफराज उर्फ कल्लू निवासी मोहल्ला नौधा थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 2—मलखान निवासी ग्राम मोहनपुर उर्फ चान्दानंगली थाना हलदौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

- 1—02 मोबाइल फोन।
- 2—नगद रूपये।
- 3—चोरी के सामान।
- 4—01 मोटर साइकिल।
- 5—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 15 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 09.01.2025 को थाना कोतवाली नगर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जेल रोड पॉवर हाउस के पास से 03 अभियुक्तों 1—राजा 2—दुर्गेश 3—अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—राजा निवासी मथुरा बाजार थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
- 2—दुर्गेश निवासी सिंहपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
- 3—अभिषेक निवासी दलपतपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

- 1—चोरी की 15 मोटर साइकिल।

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 07 लाख रुपये कीमत के चोरी के सोने-चौंदी के आभूषण
- नगद रुपये, 01 कलाई घड़ी आदि बरामद

दिनांक: 08.01.2025 को थाना दिबियापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कम्प्रेसर बम्बा के पास अजमतपुर रोड से 02 अभियुक्तों 1-रोहित उर्फ बुन्देला 2-बादल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रुपये कीमत के चोरी के सोने-चौंदी के आभूषण, नगद रुपये, 01 कलाई घड़ी आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना दिबियापुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दिबियापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त बादल के विरुद्ध जनपद औरैया के थाना दिबियापुर पर चोरी के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दिबियापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-रोहित उर्फ बुन्देला निवासी तुलसी नगर वार्ड नं0-02 थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
- 2-बादल निवासी गिहार बस्ती थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

बरामदगी

- 1-लगभग 07 लाख रुपये कीमत के चोरी के सोने-चौंदी के आभूषण।
- 2-नगद रुपये, 01 कलाई घड़ी आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 08.01.2025 की रात्रि थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोपाल नगर जलेसर रोड से 02 अभियुक्तों 1-मोहित 2-आशीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मोहित के विरुद्ध कमिश्नरेट आगरा, जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त आशीष के विरुद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना उत्तर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-चोरी की 06 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- धोखाधड़ी के 03 लाख 78 हजार रुपये नगद
- 06 मोबाइल फोन, 07 सिम आदि बरामद

दिनांक 09.01.2025 को थाना हरीपर्वत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आईएसवीटी बस स्टैण्ड के पास से 05 अभियुक्तों 1-धर्मेन्द्र उर्फ धर्मा उर्फ धर्मपाल 2-सूरज 3-शंकर 4-दो अभियुक्ता को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 03 लाख 78 हजार रुपये नगद, 06 मोबाइल फोन, 07 सिम आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.10.2024 को थाना हरीपर्वत क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात अभियुक्तों द्वारा धोखाधड़ी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—धर्मेन्द्र उर्फ धर्मा उर्फ धर्मपाल निवासी जसवन्त नगर मलयाना थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।
- 2—सूरज निवासी श्रवणखेडा शंकरपुर कमला गली थाना पामेल जनपद कानपुर देहात, हालपता टापाकला संतनगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
- 3—शंकर निवासी कुँवर सिंह नगर थाना निहाल विहार नागलोई दिल्ली।
- 4—दो अभियुक्ता।

बरामदगी

- 1—धोखाधड़ी के 03 लाख 78 हजार रूपये नगद।
- 2—06 मोबाइल फोन, 07 सिम आदि।

जनपद चंदौली/थाना अलीनगर

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत की 80 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
- 03 हजार 540 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 08.01.2025 को थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कटरिया तिराहा के पास से अभियुक्त राम कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत की 80 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 03 हजार 540 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अलीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामकुमार निवासी ग्राम जीवधीपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1—लगभग 07 लाख 50 हजार रुपये कीमत की 80 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—03 हजार 540 रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन।

➤ जनपद हमीरपुर/थाना सुमेरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 05—05 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—प्यारेलाल 2—रामकिशोर 3—सुन्दरलाल को आजीवन कारावास व 05—05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद हरदोई/थाना मंझिला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना मंझिला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/511 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सर्वेश को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद एटा/थाना सकीट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना सकीट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विशुनपाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद पीलीभीत/थाना अमरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड)

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद पीलीभीत द्वारा थाना अमरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त तारा सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0-रूपये दो-गुना करने का लालच देकर निवेश कराकर ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 04 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक: 08-01-2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर पैसों को दो-गुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले गैंग के 04 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,50,000/- रूपये भारतीय मुद्रा की छायाप्रति व 2,00,000/-रूपये नकद आदि बरामदगी करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- देवेन्द्र कुमार उर्फ नहना गौतम पुत्र स्व0 रामजस निवासी कूपा गली गौतमनगर थाना सादाबाद, जनपद हाथरस। (गैंग सरगना)
- 2- दीपक उर्फ दीपू पुत्र स्व0 रामजस निवासी कूपा गली गौतमनगर थाना सादाबाद, जनपद हाथरस।
- 3- मनीष उर्फ मानेष पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नगला अरदासी थाना बरहन, कमिष्णरेट आगरा।
- 4- अर्जुन गौतम पुत्र श्री मुन्ना लाल निवासी कूपा गली गौतमनगर थाना सादाबाद, हाथरस।

बरामदगी:-

- 1- 1,50,000/- (डेढ़ लाख रूपये भारतीय मुद्रा की छायाप्रति जिन पर काउन्ट एण्ड ब्रेक दिनांक-05-01-2023 की मुहर लगी है।)
- 2- 2,00,000/-नकद (दो लाख रूपये नकद पीड़ितों से ठगे हुये)

- 3- 01 एक्सक्यूवी कार 300 महिन्द्रा कम्पनी नम्बर यूपी-86 एडी 7356
- 4- 01 लोहे का ट्रन्क फेक करेंसी रखकर वीडियो काल से नोट दिखाकर ठगी करने हेतु।
- 5- 01 पीली धातु (सम्भवता सोने की चैन) शाकर नुमा बजन 99 ग्राम कीमती करीब 09 लाख रुपये।
- 6- 04 मोबाइल फोन।
- 7- 09 अदद कागज की गड्डी जो नोट के साईज की कटी हुई।
- 8- 02 अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

दिनांक-08-01-2025 समय-19.30 बजे रोडवेज बस स्टैण्ड के पास पुलिया थाना क्षेत्र सादाबाद हाथरस।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत दिनों आगरा, हाथरस व आप-पास के जनपदों व आस-पास के राज्यों में पैसो को दो-गुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले गैंग की सूचना प्राप्त हो रही थी, इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 08-01-2025 को एस0टी0एफ0 आगरा की टीम जनपद हाथरस के सादाबाद क्षेत्र में अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी, इसी दौरान काफी दिनों से आस-पास के जिलों व राज्यों के लोगों से पैसे दो-गुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी के उपरान्त निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा हे0का0 रवेन्द्र कुमार, हे0का0 दिनेष गौतम, हे0का0 कृष्णवीर, हे0का0 अंकित गुप्ता की टीम द्वारा स्वॉट टीम हाथरस व सादाबाद कोतवाली पुलिस को साथ लेकर उक्त गैंग के सरगना सहित 04 शातिर सदस्यों को सादाबाद बस स्टैण्ड पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग आस-पास के जिलों व राज्यों के लोगों से रूपये दो-गुना करने का लालच देकर लोगों से रूपये ले लेते हैं उक्त लोगों को बरामद लोहे के ट्रंक (लोहे का बक्सा) में नीचे कूड़ा कचरा भरकर उनके ऊपर नोटों के साईज के कागजों की गड्डी रखकर व उसके ऊपर फोटो स्टेट की गयी नोटों की गड्डी व कुछ असली नोट ऊपर लगाकर वीडियों काल व सामने दिखाकर झाँसे में लेकर पैसे ले लेते हैं, उक्त लोग जब अपना पैसा वापस माँगते हैं तो उन लोगों को धमका कर भगा देते हैं। अब तक करीब 40-50 लोगों से ठगी किये हैं। बरामद भारतीय मुद्रा की फोटो स्टेट नोटों के बारे में पूछने पर बताया कि इनके पास रंगीन फोटो कापी की मशीन है, जिससे नोटों को फोटो स्टेट करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सादाबाद जनपद हाथरस में मु0अ0सं0 17/2025 धारा 178/179/180 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

देवेन्द्र उर्फ नेहना गौतम का अपराधिक इतिहास:-

क्र०सं०	मु०अ०सं०/धारा	थाना	जनपद
1	मु0अ0सं0 17/2025 धारा 178/179/180 बी9एन0एस0	सादवाद	हाथरस
2	मु0अ0सं0 14/20 धारा 392/411 भादवि	एत्माददौला	आगरा
3	मु0अ0सं0 584/20 धारा 420/411 भादवि	एत्माददौला	आगरा
4	मु0अ0सं0 35/22 धारा 302/307 भादवि	कोतवाली	हाथरस

अर्जुन गौतम का अपराधिक इतिहास:-

क्र०सं०	मु०अ०सं०/धारा	थाना	जनपद
1	मु0अ0सं0 464/17 धारा 147/452/307/506 भादवि	जलेसर	एटा
2	मु0अ0सं0 135/17 धारा 307/302 भादवि	सहपऊ	हाथरस
3	मु0अ0सं0 508/17 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट	जलेसर	एटा
4	मु0अ0सं0 291/17 धारा 2/3 गैग0 एक्ट	सहपऊ	हाथरस
5	मु0अ0सं0 14/20 धारा 392/411 भादवि	एत्माददौला	आगरा
6	मु0अ0सं0 584/20 धारा 420/411 भादवि	एत्माददौला	आगरा
7	मु0अ0सं0 17/2025 धारा 178/179/180 बी0एन0एस0	सादबाद	हाथरस